

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री केशव देव जाट जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) बयाना में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.12.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री केशव देव जाट के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है ।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./ग्रुप-9/12463-69

दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (ति.) भरतपुर खण्ड भरतपुर ।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद भरतपुर ।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) बयाना ।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर ।
- 6- श्री केशव देव जाट सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) बयाना ।
- 7- निजी पंजिका ।

(उदयमान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)